APPENDIX – XV

# CERTIFICATE OF RECOGNITION

District Education Officer
Raipur , Chhattisgarh
(Name & Address of the issuing authority)

No. 9041 Date: 14.06.2023

To
Chhattisgarh Public School
Sarvodaya Nagar , Heerapur Road
Tatibandh , Raipur
(Name & Address of the school)
Sir/ Madam,
Sub: Recognition Certificate for the school under RTE Act 2009
(Rule :- 11 / sub- rule: - 4 of the State Act/ Rules).
Ref:

With reference to your application dated 30/01/2021 and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to Chhattisgarh Public School , ,Sarvodaya Nagar , Heerapur Road, Tatibandh , Raipur (Name & Address of school) for class I to VIII standard for the period of 03(Three Years) (no. of years) from the academic year 2021-22 to 2023-24 in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule 11 of Rule (State Act :- / Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year 2021-22 to 2023-24 and is to be renewed at an interval of every 03 years.

2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.

3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the State Education Act (State Education Act/Rules).

4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of 25 (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.

5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.

7. The school shall not deny admission to any child, -

a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.

b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.

8. The school shall ensure that,-

a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.

b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.

c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.

d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the clause of State Act (rule/ clause of State Act).

e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under clause of State Act (rule/ clause of the state Act).

f. The teachers perform his duties specified under clause of State Act (rule/ clause of the state Act).

9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.

10. The school shall maintain the standards and norms as specified in rule (rule/clause of the state Act).

11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.

12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.

13. The school is run by a society registered under the Madhya Pradesh Society Registration Act. 1973 (Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.

14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.

15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.

16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

17. ............... (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under concerned Act (concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

18. The school shall abided by the provisions of the State Act (State Act/ Rules).

19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.

20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.

21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this District Education Officer , Raipur , Chhattigsarh (Name & Address of the certificate issuing authority).

22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department form time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.

23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.

24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the Concerned State Authority.

(Concerned State Authority).

District Education officer
RAIPUR (C.G.)

Seal & Signature of issuing authority

Name & Address of issuing authority :-

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

Principal
Chhattisgarh Public School
Heerapur, Tatiband, Raipur

Chairperson
Chhattisgarh Public School
Tatibandh, Raipur (C.G.)

प्रारूप–2

# संभागीय, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)
दूरभाष 0771–4240278 ई–मेल jdeduraipur@gmail.com

क्र / विभागीय मान्यता / आर 0017 / 2021 2415 रायपुर, दिनांक 28 SEP 2021

प्रति

प्रबंधक / अध्यक्ष,
सूर्या सामाजिक जन कल्याण समिति हीरापुर रायपुर
**छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल सर्वोदय नगर हीरापुर रोड टाटीबंध रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)**

संदर्भ :– कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ज्ञाप क्रं / विभागीय मान्यता / ब / 2021 / 14334 रायपुर, दिनांक 15.09.2021

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख **30.01.2021** के सन्दर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.) की **अनुशंसा** उपरांत मैं **छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल सर्वोदय नगर हीरापुर रोड टाटीबंध रायपुर, जिला–रायपुर** (विद्यालय के नाम एवं पता सहित) को **कक्षा नर्सरी एवं कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं** तक के लिए वर्ष **2021–22** से **2023–24 तक** तीन वर्षों की अवधि के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उक्त मान्यता स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी :–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता होगी, जिसकी शर्तें निम्नानुसार होंगी।

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबद्धता करने के लिए कोई दायित्व विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
5. सोसाइटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वहीं अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –

(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(चार) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

क्रमशः

Chairperson
Chhattisgarh Public School
Tatibandh, Raipur (C.G.)

Principal
Chhattisgarh Public School
Heerapur, Tatiband, Raipur

(छह) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते है, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी :
(सात) अध्यापकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा :
(आठ) प्राइवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी :
(नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों एव सन्नियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :–

स्कूल परिसर का क्षेत्रफल –
कुल निर्मित क्षेत्रफल –
खेल मैदान का क्षेत्रफल –
कक्षाओं के कमरों की संख्या –
प्रधानाध्यापक कक्ष–सह कार्यालय सह–स्टोर कक्ष –
लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन – हां है।
स्वच्छ पेयजल सुविधा – हां है।
मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर – हां है।
बाधा रहित प्रवेश सुविधा – हां है।
पठन–पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता – **हां है।**

10. विद्यालय परिसर के भीतर व उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड नम्बर **2021-आर–0017** एवं डाईस (DISE) कोड नम्बर **22110405510** है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त

1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्य पुस्तकें मान्य होंगी तथा भवन व अन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(ख) एवं कक्षा नवमीं से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
3. कक्षा नवमी से बारहवीं के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.मा.शिक्षा मंडल रायपुर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर
आवक क्र. 12566 दिनांक 30.9 2021
कक्ष का नाम

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठा. क्र./विभागीय मान्यता/आर0007/2021 2441 रायपुर, दिनांक 28 SEP 2021
प्रतिलिपि:–

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2, कम्युनिटि सेन्टर प्रीत विहार दिल्ली (भारत)– 110092 को सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

Chairperson
Chhattisgarh Public School
Tatibandh, Raipur (C.G.

Principal
Chhattisgarh Public School
Heerapur, Tatiband, Raipur